

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या-पी०पी०एम०-60/2016

1079


/क०, पटना, दिनांक-26-02-2018

शुद्धि पत्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3805 दिनांक 25.09.2017 द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना (कृषि) के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में 420.05 लाख (चार करोड़ बीस लाख पाँच हजार) रुपये {(केन्द्रांश मद 252.03 लाख रुपये (60%) एवं राज्यांश 168.02 लाख रुपये (40%))} की निकासी एवं योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। विपत्र की निकासी के क्रम में कोषागार पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के पत्रांक 6190 दिनांक 04.08.2016 को संदर्भित करते हुए परामर्श दिया गया कि विषयशीर्ष सहायक अनुदान-3104-वेतन, 3105-सहायक अनुदान-परिसंपत्ति निर्माण, 3106-सहायक अनुदान गैर वेतन में उपबंधित राशि की निकासी बी०टी०सी०-42 पर ही हो सकती है। तदनुकूल स्वीकृत्यादेश की कंडिका-10 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है,

पूर्व का प्रस्ताव	संशोधित प्रस्ताव
केन्द्रांश की राशि प्राप्त होने के पश्चात समानुपातिक राज्यांश सहित कृषि निदेशक द्वारा संबंधित कोषागार के माध्यम से BTC फार्म 46 में निकासी किया जायेगा एवं बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) के PL Account 278 नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में स्थानन्तरित किया जायेगा।	केन्द्रांश की राशि प्राप्त होने के पश्चात समानुपातिक राज्यांश सहित स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से BTC-42 पर करते हुए Inter Departmental Transfer के माध्यम से बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) के पी०एल० खाता संख्या-पी०एल०ए०-278 में चालान (BTC FORM-4) द्वारा हस्तांतरित की जायेगी।

2. स्वीकृत्यादेश की सभी शर्तें यथावत रहेंगी।


23.2.2018
(सुधीर कुमार)


प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-पी०पी०एम०-60/2016

1079

/क०, पटना, दिनांक 26-02-2018

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23.2.2018
प्रधान सचिव,


कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-पी०पी०एम०-60/2016

1079

/क०, पटना, दिनांक 26-02-2018


प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23.2.2018
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-पी०पी०एम०-60/2016 1079 /कृ०, पटना, दिनांक 26-02-2018

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



23.2.2018

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-पी०पी०एम०-60/2016 1079 /कृ०, पटना, दिनांक 26-02-2018

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक शष्य, (योजना), बिहार, पटना/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी/उप निदेशक (शष्य), सूचना, कृषि विभाग, बिहार, पटना/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


23.2.2018

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

Pipatti